

**कर्मवीर,
राष्ट्रीय शैक्षणिक विद्या परिषद,
एलएच प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- शांति/परिषद सम्प्रदाय/2020/1071

लागूतक दिनांक: 15-8-2020

—आज्ञासूच्य आश—

अखिल भारतीय कर्मवीर शिक्षा परिषद नई दिल्ली/एनपीए स्वयंसेवक जॉक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संविधान संघ 2020-21 हेतु विदेशी भाषीय कर्मवीर शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के लक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षणिक विद्या परिषद, एलएच लखनऊ में सम्प्रदाय/शांति संघ के द्वारा किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को संयुक्त शैक्षणिक विद्या परिषद, एलएच लखनऊ की अध्यक्षता में एनपीए स्वयंसेवक से बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संविधान संघ 2020-21 हेतु विदेशी भाषीय कर्मवीर को सम्प्रदाय/शांति से संबन्धित संस्थाओं को सम्प्रदाय विस्तार/प्रवेश क्षमता प्रदान करने के लिए निर्णय किया गया है।

एक से अधिक में सम्प्रदाय संविधान संघ के संघ 2020-21 में विदेशी भाषीय कर्मवीर विस्तार संविधान संघ को पूर्ण से सम्प्रदाय विस्तार का प्रस्ताव दिया गया। सम्प्रदाय संविधान संघ को पूर्ण से सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किया गया -

- विदेशी भाषीय में स्वयंसेवक विस्तार इन भाषीयों पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाएं, जो राष्ट्रीय शैक्षणिक विद्या परिषद, एलएच लखनऊ से पूर्ण से सम्प्रदाय हैं, एवं संघ 2020-21 हेतु पीएसीआईए द्वारा उन्हें विदेशी अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुमोदन संघों नाम के संयुक्त शैक्षणिक विद्या परिषद/प्रवेश क्षमता को प्राप्त करने 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किये जाने पर संविधान द्वारा विस्तार-विषयों किया गया एवं शैक्षणिक संघ से पीएसीआईए द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार को अनुमोदन से संघ 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

दिनांक 14-08-2020 को एलएच लखनऊ संविधान संघ के लिए एवं सम्प्रदाय विस्तार के अनुमोदन में निर्णय प्रदान की शैक्षणिक विद्या परिषद एलएच लखनऊ द्वारा संघ 2020-21 हेतु निर्णयित संघों के विदेशी अनुमोदन एवं विदेशी भाषीय संघों हेतु सम्प्रदाय विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं. संघ	संघ का नाम	अनुमोदन का नाम	पीएसीआईए द्वारा संघ 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया गया	पीएसीआईए द्वारा संघ 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया गया
1	अन्य	एनपीए स्वयंसेवक जॉक इण्डिया (एनपीए स्वयंसेवक, दिल्ली, एनपीए स्वयंसेवक, दिल्ली, एनपीए स्वयंसेवक, दिल्ली)	विदेशी भाषीय	80

सम्प्रदाय हेतु संघ

- ✓ संघ 2020-21 हेतु पीएसीआईए द्वारा निर्णयित की गयी संघों का पूर्ण प्रदान किया।
- ✓ संघ 2020-21 हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक विद्या परिषद एलएच लखनऊ शैक्षणिक विद्या परिषद विदेशीय संघ 2020-21 हेतु निर्णयित संघों 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया एवं संघों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(4)

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्रायोगिक शिक्षा परिषद,

उपर लोका राजमंडल।

संख्या:- प्रायोगिक/राष्ट्रीय, सांख्यिक/2021/3637

तारीख:- दिनांक: 08/08/2021

:कार्यालय सूचना:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/समस्त आउटरिच ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थी/सर्वीस/कर्मियों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्रायोगिक शिक्षा परिषद, उदयपुर लोका में सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को राष्ट्रीय कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संपादित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निर्णय के अनुसार सत्र 2021-22 हेतु प्रायोगिक शिक्षा परिषद, उदयपुर लोका द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसमें अंतर्गत प्रत्येक क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का शीट एवं नाम - 2021-GAYA PRASAD INSTITUTE OF HUMAN EXCELLENCE FOR PHARMACY FIRAZPUR, IN FRONT OF MALIHABAD RAILWAY STATION, MALIHABAD,LUCKNOW-226102

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एच आई टी सी आई आई सी आई आई परिवर्तन द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रत्येक क्षमता	22 हेतु अनुमोदित प्रत्येक क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच आई टी सी आई आई सी आई आई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उदयपुर प्रदेश प्रायोगिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्रायोगिक शिक्षा परिषद विनियमसूची 1992, विनियमसूची 2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा वार्षिक वित्तिय समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,00,000- प्रतिवर्ष, दो बर्षों के लिए पाठ्यक्रम हेतु रु० 40,00,000- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के लिए पाठ्यक्रमों (दो बर्षों के लिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 25,00,000- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/वर्षों से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उदयपुर/लुका में शुल्क के संकलन में सहायता के लिए संस्था द्वारा निर्धारित किए जाने वाले व्यय काटन देख प्रभावी होंगे, और तत्पश्चात् कार्यालयी किया जान आवश्यक होगा। परीक्षा निर्धारित समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया जात है, तो परीक्षा की तारीखें भी लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (अथवा प्रायोगिक शिक्षा समितियों तथा उदयपुर समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमसूची-2018 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश प्रायोगिक शिक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के लिए यह जाने की स्थिति में उदयपुर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को सहायता के लिए वार्षिक/वर्षों के अनुसार निर्देशों एवं सम्बद्धता शुल्क प्रेषित करना होगा।
- ✓ संस्था को एच आई टी सी आई आई सी आई आई के आगमन तक हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उदयपुर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधिनियमों/विनियमों/सामनहो/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रायोगिक शिक्षा, उदयपुर, संयुक्त प्रदेश प्रायोगिक शिक्षा परिषद, उदयपुर तथा प्रायोगिक शिक्षा परिषद, लुका द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों,

आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होंगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि यी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिवत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नुकसान नहीं होगा तथा इस संबंध में न. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जात है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था जो करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनका द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षा-निर्धारित प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआईएनई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अर्थात् उन्हें प्रवेश की प्रमाणितियों के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश। अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सखन-सखन, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुल्क, छात्रावास मुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ ही गैर-रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित बननी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघटित पाठ्यक्रम को सलाह देने हेतु निर्देशक समिति के समस्त उपलब्ध बनाये गये अभिनेता, भूमि-आवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघटन में प्रयोग किया जात है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपर्युक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वीय निर्देशक दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सखन-सखन एड-आईपीसी-पीसीआईएनई-परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं बना जात है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुसं०- प्राथमिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4808

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, GAYA PRASAD INSTITUTE OF HUMAN EXCELLENCE FOR PHARMACY
FIROZPUR, IN FRONT OF MALIHABAD RAILWAY STATION, MALIHABAD, LUCKNOW-226103



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
उच्च शिक्षण परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- प्राविश/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

संलग्नक दिनांक 30/08/2022

कार्यालय सूचना

उच्च शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली कार्यालय के अधीन नई दिल्ली द्वारा वैश्व स्तर पर 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षण परिषद, उ०प्र० सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिसर कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सभ्य पर विचार करने हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षण परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2021-DATA PRASAD INSTITUTE OF HUMAN EXCELLENCE FOR PHARMACY FIRAZPUR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईसीसीआईए पीसीएआईए द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईसीसीआईए पीसीएआईए द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षण परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षण परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनवर्षों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु ₹०. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०.22000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रिकाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त समय पर वासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनवर्ष पत्राची होने, और तदनुसार कार्रवाही किया जाना आवश्यक होगा। जिस निर्धारण समिति द्वारा वर्ष सत्र 2022-23 हेतु परिस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, ती शर्त की नवीनतम ढर्रे लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिसर द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनवर्षों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश वासन द्वारा निर्गत विधि/निजी/अधिनियम/शासनवर्षों/निर्देशों एवं विधेयक, प्राविधिक शिक्षण, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षण परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्था का १०-आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था सर्व उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई काद टापर किया जाता है तथा टापर काद के संबंध में न्य. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रेषित हेतु आवेदनित कार्डनिर्दिष्ट प्रारंभ होने के पूर्व १०-आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध बनाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्डनिर्दिष्ट के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु समय-समय पर निर्दिष्ट नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सार्व-सख, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थि-प्रतिक्रिया हेतु उचित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रसवित/ संघलित परतकर्म को बर्बाद करने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परतकर्म के संघलन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अधिक सार्वीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सख, संस्था १०-आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद के समकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(एफ०आर० खान)

सचिव

पुसं०- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-6455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, GAYA PRASAD INSTITUTE OF HUMAN EXCELLENCE FOR PHARMACY
FEROZPUR


(एफ०आर० खान)

सचिव